बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

संoसंo–9/आ0–04–13/2024(स्वा0) .... /पटना, दिनांकः–......................................

डॉ० राकेश कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, SNCU सह उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, लखीसराय के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, लखीसराय के औचक निरीक्षण में दिनांक–10.08.2024 को सात चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा अग्रिम उपस्थिति दर्ज कर कर्त्तव्य पर अनुपस्थित रहने के कारण चिकित्सीय कार्य प्रभावित होने के आरोप में विभागीय ज्ञापन स०–1072(9) दिनांक–25.10.2024 द्वारा गठित आरोप–पत्र पर बचाव का अभिकथन समर्पित करने का निदेश दिया गया।

2. उक्त के आलोक में डॉ० कुमार द्वारा बचाव का लिखित अभिकथन दिनांक–10.08.2024 को समर्पित कर अवगत कराया गया कि उन्हें फरवरी 2022 में संस्थान में उपाधीक्षक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया एवं जनवरी 2024 में वेक्टर वोर्न डिजीज नियंत्रण पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। वे जिला पदाधिकारी, लखीसराय के औचक निरीक्षण में कर्त्तव्य पर उपस्थित थे। चिकित्सा पदाधिकारी एवं पारामेडिकल कर्मी द्वारा रोस्टर के अनुसार कार्य नहीं करने पर वरीय पदाधिकारी से शिकायत किया गया। वे अधीनस्थ कर्मियों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नहीं है।

3. समर्पित बचाव का लिखित अभिकथन पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षा की गयी। जिसमें पाया गया कि डॉ० कुमार का चिकित्सा पदाधिकारियों के कर्त्तव्य पर अनुपस्थित रहने में प्रश्रेय देने का आरोप खण्डित नहीं होता है, क्योकि जिला पदाधिकारी, लखीसराय के औचक निरीक्षण में चिकित्सा पदाधिकारी अनधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गए है। अतएव स्पष्टीकरण से असहमत होते हुए डॉ० कुमार के विरूद्ध कर्त्तव्य का निष्ठापूर्वक निर्वहन नहीं करने के आरोप के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(1) के अधीन "निन्दन" की शास्ति अधिरोपित करने का विनिश्चय किया गया।

4. अतएव डॉ० राकेश कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, SNCU सह उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, लखीसराय के विरूद्ध कर्त्तव्य का निष्ठापूर्वक निर्वहन नहीं करने के आरोप के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(1) के अधीन "निन्दन" की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

5. उपर्युक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–9/आ0–04–13/2024(स्वा0) 639(9) /पटना, दिनांकः– 12.6.25

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, (ले0 एवं हक0) बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, लखीसराय/कोषागार पदाधिकारी, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर/सिविल सर्जन, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/06/2025

(13)

प्रतिलिपिः—माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वा0 विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः—डॉ० राकेश कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, SNCU सह उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 17 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

12/06/2025
सरकार के अवर सचिव।